वकील समुदाय ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से [illegible] है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 13/3/24 को पेश हो।

प्रस्तुतकार

वकील समुदाय ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से [illegible] है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 11/3/24 को पेश हो।

प्रस्तुतकार

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। फैसला पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। फैसला शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

साथ ही उक्त वाद फैसला होने से अथवा अंतिम डिक्री होने से मूल वाद से संबंधित पत्रावली सं. 42/2017 प्रार्थना T.I. एवं 28/2018 प्रार्थना T.I. के आदेश दिनांक 19.9.2019, 19.9.2019 को न्यायालय द्वारा उक्त T.I. प्रार्थनाओं को निस्तारण मूल वाद तक स्थगित/कन्फर्म किया गया था। चूंकि अब दावा अंतिम डिक्री हो चुका है अतः उक्त T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से स्थगन आदेश खारिज किये जाते हैं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हेतु कम्प्यूटर एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 59 / 2017

उनवान

1. नारंगी देवी पत्नि स्व0 श्री गिरधारी (फौत)
   1/1 नाथी देवी पुत्री स्व0 गिरधारी
   1/2 उर्मिला देवी पुत्री स्व0 श्री गिरधारी
2. साधुराम पुत्र स्व0 श्री गिरधारी
3. हरफूल पुत्र स्व0 श्री गिरधारी

— वादीया

बनाम

1. सुरेश पुत्र बद्रीनारायण
2. ओमप्रकाश पुत्र बद्री नारायण
3. राकेश पुत्र बद्रीनारायण

समस्त व्यस्कान जाति मीना निवासी परमानपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

4. सीतराम पुत्र गोमा
5. महावीर पुत्र गोमा
6. बहादुर पुत्र गोमा
7. मोहनलाल पुत्र गोमा
8. प्रेम देवी पुत्री गोमा
9. हंसा देवी पुत्री गोमा
10. प्रभाती देवी पत्नि गोमा

समस्त व्यस्कान जाति मीना निवासी गुलाबबाडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 1/7/2024

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नं0—377 रकबा 0.80, 378 रकबा 0.59, 379 रकबा 0.03, 380 रकबा 0.67, 395 रकबा 0.15, 396 रकबा 0.67, किता—6 कुल रकबा 2.91 है० वाकै ग्राम परमानपुरा पटवार हल्का म्हारखुर्द तहसील—शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी सुरेश ओमप्रकाश राकेश पि० बद्रीनारायण हिस्सा 1/4, गोमा पुत्र रामू हिस्सा 1/4, साधुराम हरफूल पि०

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

गिरधारी, मु० नारंगी देवी बेवा गिरधारी हिस्सा 1/2 साकिन दे हके नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता सं0–121 संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी के सहखातेदार गोमा पुत्र रामू की मृत्यु हो चुकी है मृतक गोमा के प्रतिवादी सं0–4 लगायत 10 वारिसान है जिन्होने उनकी चल एवं अचल सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी को अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है वादीगण ने आराजी खसरा नं0–380 में पूर्वी सीमा से लगती हुई जगह में अपने आवास एवं कृषि उपजब यंत्र के रखरखाव एवं पशु आदि के लिए पुख्ता मकान बना रखा है प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 3 ने भी खसरा नं0–396 में वादीगण के पुख्ता मकानात के पास में ही पुख्ता मकान बना रखा है उक्त मकानात व आराजी मुतनाजा में आने जाने के लिए खसरा नं0–396 व 377 के मध्य की सीमा पर व खसरा नं0–379 में तथा खसरा नं0–380 व 396 के मध्य की सीमा पर 15 फुट चौडाई का रास्ता रहा है उक्त रास्ते को वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ते को अपने आने–जाने, साधन आदि लाने ले जाने के उपयोग उपभोग में काफी अर्से से लेते आ रहे है।

वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूमी बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन अब घरेलू बातो को लेकर प्रतिवादीगण वादीगण से मनमुटाव रखने लग गये है उन्होने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना लिया है और वे वादीगण को उनके हक व हिस्से की भूमि की काश्त करने में तथा नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ते के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा करने लग गये है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। दिनांक–15.11.2017 को सुबह वादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि में कृषि कार्य कर रहे थे तब सभी प्रतिवादीगण एक राय होकर हाथो में लाठीयां फावडे आदि लेकर आये और वादीगण को कृषि कार्य करने से रोकने लगे तब वादीगण ने उन्हे ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण वादीगण के साथ झगडा फिसाद करने को आमादा हो गये उस समय आस पडौस के काश्तकारो ने आकर वादीगण का प्रतिवादीगण से बीच बचाव करवाया तथा प्रतिवादीगण को समझाबुझाकर 'शांत किया तब प्रतिवादीगण वापस जाते समय वादीगण को एलानियां धमकी दी कि वे वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि में काश्त नहीं करने देगे तथा उन्हे उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करेगे एवं लाल रंग से प्रदर्शित रास्ते की भूमि से भी वादीगण को नहीं आने जाने देगे।

यदि प्रतिवादीगण अपने मन्सूबे में सफल हो गये और उन्होने वादीगण को वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी में अपने हक हिस्से की भूमि में काश्त नहीं करने देगे तथा उन्हे भूमि से जबरन बेदखल कर देगे एवं लाल रंग से दर्शित 15

सहायक कलक्टर
(जिला-जयपुर) राज.

फुश्चौडे रास्ते से आने जाने नहीं देगे तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक रूप में मुकदमेबाजी बढेगी।

प्रतिवादीगण के उपरोक्त वर्णित कृत्यों के कारण वादीगण की आराजी मुतनाजा को 'शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नं०–1 में वर्णित आराजी का कब्जे काश्त के अनुसार नियमानुसार बंटवारा करवाया जाना एवं मौके पर रास्ता कायम करवाया जाना आवश्यक हो गया है इस कारण वादीगण उक्त वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नं0–377 रकबा 0.80, 378 रकबा 0. 59, 379 रकबा 0.03, 380 रकबा 0.67, 395 रकबा 0.15, 396 रकबा 0.67, किता–6 कुल रकबा 2.91 है० वाके ग्राम परमानपुरा पटवार हल्का म्हारखुर्द तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे काश्त के एवं नियमानुसार बंटवारा करवाया जावे तथा उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे एवम प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त में तथा रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से कोई मजाहमत पैदा नहीं करे तथा न करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने वकालतनामा व काउण्टर क्लेम पेश किया। वकील वादी द्वारा जवाब उल जवाब पेश किया गया, जो संलग्न पत्रावली है। प्रकरण में दिनांक 25.02.2021 को तनकीयात कायम की गई। वकील प्रतिवादी ने प्रकरण में प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी ने कोई आपत्ति जाहिर नही की अपितु उभयपक्ष ने उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने हेतु सहमति दी। उभयपक्ष को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत न्यायहित में प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। प्रकरण में दिनांक 26.04.2024 को वकील उभयपक्ष व पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पक्षकारान ने अपने राजीनामे के संबंध में राजीनामें अनुसार प्रकरण प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति दी है जिसे वकील उभयपक्ष के द्वारा पहचान की गई है। प्रकरण बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से प्रकरण में राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.04.2024 को जारी की

सहायक कलक्टर
(जिला-जयपुर) राज.

जाकर तहसीलदार शाहपुरा को राजीनामा अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/2425 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया तथा वकील उभयपक्ष ने कथन किया की प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से एवं वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं करने से बल्कि वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने की सहमति होने के कारण दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार / कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी हाल खसरा नं0–377 रकबा 0.80, 378 रकबा 0.59, 379 रकबा 0.03, 380 रकबा 0.67, 395 रकबा 0.15, 396 रकबा 0.67, किता–6 कुल रकबा 2.91 है0 वाकै ग्राम परमानपुरा पटवार हल्का म्हारखुर्द तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. ओमप्रकाश, सुरेश, राकेश पिसरान बद्रीनारायण जाति मीणा हि0 ब0 हि0 सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 377/3 रकबा 0.0450 है0, 396/1 रकबा 0.6350 है0 किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 भूमि रहेगी।
2. गोमाराम पुत्र रामू हि0 पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 377/2 रकबा 0.71 है0 किता 1 कुल रकबा 0.71 है0 भूमि रहेगी।
3. ओमप्रकाश, सुरेश, राकेश पिसरान बद्रीनारायण हि0 1/2 , गोमाराम पुत्र रामू हि0 1/2 सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 379 रकबा 0.03 है0 किता 2 कुल रकबा 0.03 है0 भूमि रहेगी।
4. साधुराम, हरफूल पिसरान गिरधारी , नारंगी देवी पत्नि गिरधारी राहिन ओ.बी.सी. तिगरिया हि0 पूर्ण के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 377/1 रकबा 0.0450 है0, 378 रकबा 0.5900 है0, 380 रकबा 0.6700 है0, 395 रकबा 0.1500 है0 किता 4 कुल रकबा 1.4550 है0 भूमि रहेगी।
5. साधुराम , हरफूल पुत्र गिरधारी जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 396/2 रकबा 0.0350 है0 किता 1 कुल रकबा 0.0350 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 1/7/2024 को सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 59/2017

उनवान

1. नारंगी देवी पत्नि स्व0 श्री गिरधारी (फौत)
   1/1 नाथी देवी पुत्री स्व0 गिरधारी
   1/2 उर्मिला देवी पुत्री स्व0 श्री गिरधारी
2. साधुराम पुत्र स्व0 श्री गिरधारी
3. हरफूल पुत्र स्व0 श्री गिरधारी

– वादीया

बनाम

1. सुरेश पुत्र बद्रीनारायण
2. ओमप्रकाश पुत्र बद्री नारायण
3. राकेश पुत्र बद्रीनारायण

   समस्त व्यस्कान जाति मीना निवासी परमानपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

4. सीतराम पुत्र गोमा
5. महावीर पुत्र गोमा
6. बहादुर पुत्र गोमा
7. मोहनलाल पुत्र गोमा
8. प्रेम देवी पुत्री गोमा
9. हंसा देवी पुत्री गोमा
10. प्रभाती देवी पत्नि गोमा

   समस्त व्यस्कान जाति मीना निवासी गुलाबबाडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 1/7/2024

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार / कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है। आराजी हाल खसरा नं0–377 रकबा 0.80, 378 रकबा 0.59, 379 रकबा 0.03, 380 रकबा 0.67, 395 रकबा 0.15, 396 रकबा 0.67, किता–6 कुल रकबा 2.91 है0 वाकै ग्राम परमानपुरा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

पटवार हल्का म्हारखुर्द तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. ओमप्रकाश, सुरेश, राकेश पिसरान बद्रीनारायण जाति मीणा हि0 ब0 हि0 सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 377/3 रकबा 0.0450 है0, 396/1 रकबा 0.6350 है0 किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 भूमि रहेगी।
2. गोमाराम पुत्र रामू हि0 पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 377/2 रकबा 0.71 है0 किता 1 कुल रकबा 0.71 है0 भूमि रहेगी।
3. ओमप्रकाश, सुरेश, राकेश पिसरान बद्रीनारायण हि0 1/2 , गोमाराम पुत्र रामू हि0 1/2 सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 379 रकबा 0.03 है0 किता 2 कुल रकबा 0.03 है0 भूमि रहेगी।
4. साधुराम, हरफूल पिसरान गिरधारी , नारंगी देवी पत्नि गिरधारी राहिन ओ.बी.सी. तिगरिया हि0 पूर्ण के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 377/1 रकबा 0.0450 है0, 378 रकबा 0.5900 है0, 380 रकबा 0.6700 है0, 395 रकबा 0.1500 है0 किता 4 कुल रकबा 1.4550 है0 भूमि रहेगी।
5. साधुराम , हरफूल पुत्र गिरधारी जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 396/2 रकबा 0.0350 है0 किता 1 कुल रकबा 0.0350 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 1/7/2024 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	